कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /732 / भवन अनुज्ञा. /21 देवास दिनांक 29/06/2021

भवन अनुज्ञा शाखा

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम देवास सीमा क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त भवन, होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्था, व्यवसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, शॉपिंग मॉल एवं अन्य बहुमंजिला इमारतों के भवन स्वामियों को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–83 के '' लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का प्रावधानों'' के तहत नियमों का पालन किया जाना शासन द्वारा अनिवार्य किया गया है जो कार्य लिफ्ट इंजीनियर के माध्यम से कराया जावेगा।

अतः लिफ्ट इंजीनियर की अनुज्ञप्ति हेतु भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपना आवेदन निकाय में प्रस्तुत कर सकते है। लिफ्ट इंजीनियर हेतु न्युनतम अर्हता निम्नानुसार हैः–

पदनाम	न्युनतम अहर्ता
(1)	(2)
लिफ्ट इंजीनियर	मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं लिफ्ट एस्केलेटर और मूविंग वॉक की स्थापना, निर्माण, परीक्षण अथवा ऑडिट से संबंधित पांच वर्ष का अनुभव धारण करता हो।

अतः लिफ्ट इंजीनियर से संबंधित अन्य जानकारियों हेतु निकाय में कार्यालयीन दिवस एवं समय में भवन अनुज्ञा शाखा में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते है।

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास
29/06/2021

पृ.क / / भवन अनुज्ञा. /21 देवास दिनांक

प्रतिलिपिः–

01.प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी नगर पालिक निगम देवास की भेजकर लेख्य है कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना 01 प्रदेश स्तरीय एवं 02 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

02.सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किये जाने हेतु।

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास
29/06/2021

PWD/1199